छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर–492002

क्रमांक एफ 1–112/2023/सत्रह–1 नवा रायपुर, दिनांक 03 अक्टूबर, 2023

प्रति,

संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटलनगर।

विषय :– हडताल में शामिल होने के कारण निलंबित शासकीय सेवकों को निलंबन से बहाल करने बाबत्।

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक /स्था.अवि./2023/972, दिनांक 29.09.2023

——0——

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन एवं छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन (CIDA) के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग एवं चिकित्सकों की लंबित मांगों के संबंध में दिनांक 01.08.2023 द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की सूचना देकर दिनांक 21.08.2023 से अनिश्चितकालीन हडताल पर गये थे।

3/ गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ 04–104/गृह–सी/2023, दिनांक 11.07.2023 द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा) की धारा 4(1)(2) के तहत लोक स्वास्थ्य से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया गया है।

4/ उपरोक्तानुसार एस्मा लागू होने के उपरान्त भी हड़ताल पर जाने वाले शासकीय सेवकों को संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निलंबित किया गया है।

//2//

स्था.2 (1)

4/10/2023

5/ विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि हड़ताल में शामिल होने के कारण निलंबित किये गये उपरोक्त शासकीय सेवकों को तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल किया जाये। इनकी निलंबन अवधि का नियमानुसार निराकरण विभाग द्वारा पृथक से किया जायेगा।

6/ अतः उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

03/10/2023
(रिमन कुमार गंगाकचूर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1–112/2023/सत्रह–1 नवा रायपुर, दिनांक 03 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़,
2. समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़,
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. कार्यालयीन प्रति।

03/10/2023
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग